दिनांक–24.01.2018 को माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में विभागीय सभाकक्ष में आयोजित नवगठित 07 आयोजना प्राधिकार के क्रियान्वयन से सम्बन्धित प्रथम बैठक का सारांशित विवरण एवं कार्यवाही –

(उपस्थिति संलग्न)

राजगीर, बिहारशरीफ, आरा, गया, बोधगया, मुजफ्फरपुर एवं सहरसा का मास्टर प्लान तैयार करने के लिए आयोजना क्षेत्रों की घोषणा के उपरान्त **राजगीर** क्षेत्रीय आयोजना क्षेत्र प्राधिकार, **बिहारशरीफ** आयोजना क्षेत्र प्राधिकार एवं **आरा** आयोजना क्षेत्र प्राधिकार का गठन, **प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमण्डल** की अध्यक्षता में, **गया** आयोजना क्षेत्र प्राधिकार एवं **बोधगया** आयोजना क्षेत्र प्राधिकार का गठन, **प्रमण्डलीय आयुक्त, मगध प्रमण्डल** की अध्यक्षता में, **मुजफ्फरपुर** आयोजना क्षेत्र का गठन, **प्रमण्डलीय आयुक्त तिरहुत प्रमण्डल** की अध्यक्षता में एवं **सहरसा** आयोजना क्षेत्र प्राधिकार का गठन, **प्रमण्डलीय आयुक्त, कोशी प्रमण्डल** की अध्यक्षता में किया गया है। उक्त नवगठित आयोजना प्राधिकारों के क्रियान्वयन से सम्बन्धित इस बैठक में इन आयोजना क्षेत्रों के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बिहार भवन उपविधि, 2014 को प्रभावी करने, प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत् किफायती आवास एवं मलीन बस्ती पुर्नवास एवं पुर्नविकास आवास नीति, 2017 (Affordable Housing and Slum Rehabilitation and Redevelopment Housing Policy, 2017) को लागू करने तथा इन आयोजना क्षेत्रों का मास्टर प्लान तैयार करने पर विचार विमर्श किया गया।

माननीय मंत्री द्वारा राज्य में शहरीकरण में वृद्धि की सम्भावना एवं इसकी अनिवार्यता के सम्बन्ध में विचार प्रकट करते हुए तथा राज्य में शहरीकरण को गति देने के उद्देश्य से प्रमण्डलीय आयुक्तों एवं सभी उपस्थितों से सहयोग का आग्रह किया गया।

(i). प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा सभी आगन्तुकों का स्वागत किया गया एवं बैठक के विचारणीय विन्दुओं से अवगत कराया गया। उनके द्वारा बताया गया कि आयोजना क्षेत्रों में बिहार भवन उपविधि, 2014 तथा Affordable Housing and Slum Rehabilition & Redevelopment Housing Policy-2017 के तहत् प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी (PMAY-Urban) को लागू करने का प्रावधान किया गया है।

(ii). प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि आयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र में भवन उपविधि, 2014 का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकायों द्वारा किया जा रहा है। आयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में भवन उपविधि का कार्यान्वयन संबंधित आयोजना प्राधिकार द्वारा किया जाना है। नवगठित आयोजना प्राधिकारों में प्रतिनियुक्त/मनोनीत सहायक अभियंता, कनीय अभियंता एवं अमीन के साथ दिनांक–23.01.2018 को विभाग में आयोजित बैठक में भवन उपविधि को लागू करने हेतु विस्तृत विचार विमर्श का आयोजन किया गया एवं आवश्यक जानकारियाँ दी गयी। भवन उपविधि लागू करने के क्रम में आयोजना प्राधिकार द्वारा नामित पदाधिकारियों/कर्मियों को नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा यथा आवश्यक प्रशिक्षण समय–समय पर दिया जाएगा।

(iii). पटना आयोजना क्षेत्र में Affordable Housing and Slum Rehabilition & Redevelopment Housing Policy-2017 लागू करने से संबंधित विभाग द्वारा निर्गत संकल्प से अवगत कराया गया एवं बताया गया कि अन्य आयोजना क्षेत्रों में इस नीति का कार्यान्वयन इसके उद्देश्यों की पूर्त्ति में सहायक होगा।

(iv). राज्य के 27 शहरों का मास्टर प्लान, भारत सरकार के AMRUT Sub Mission के अन्तर्गत तैयार किया जा रहा है। सभी जिला मुख्यालय शहर का मास्टर प्लान तैयार करने का लक्ष्य **सुशासन के कार्यक्रम, वर्ष, 2015–20** के अन्तर्गत निर्धारित किया गया है। राजगीर का समेकित मास्टर प्लान हडको के माध्यम से तैयार किया जा रहा है। अन्य

शहरों के मास्टर प्लान के तैयारी के लिए विभाग के स्तर से कन्सलटेन्ट के चयन की कारवाई की जा रही है। प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि AMRUT Mission के अन्तर्गत Urban Planners एवं अन्य Professional की सेवा प्राप्त करने की कारवाई विभाग द्वारा की जा रही है, जिनके सेवा का उपयोग इस कार्य के लिए किया जायगा। प्रधान सचिव द्वारा पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार के स्तर से Area Development Scheme एवं Zonal Development Plan के लिए Master Consultant के चयन/मनोनयन के लिए की जा रही कारवाई से अवगत कराया।

(v). उक्त बैठक में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से Overview of Planning Authority, Some Important Definitions, Legal provisions for Planning Authority, Power and Functions, Role of Planning Authority in Master Plan and Building Byelaws, Stages for preparation of Development Plan, Status of G.I.S. Based Master Plan in Bihar, Example of GIS based **Master Plan** : Patna Master Plan 2031, Immediate Steps, **Case Study** : PMAA and Way forward से अवगत कराया गया। प्रस्तुतीकरण के क्रम में आयोजना प्राधिकार के कर्त्तव्यों एवं शक्तियों, क्रियान्वयन, मास्टर प्लान की तैयारी एवं अन्य दायित्वों के निर्वहन के लिए तत्काल आवश्यक संसाधन, प्रोफेशनल एवं तकनीकि कर्मियों एवं की आवश्यकता, कार्यालय व्यय आदि पर विचार विमर्श किया गया।

(vi). प्रस्तुतीकरण के क्रम में प्रधान सचिव द्वारा बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम–11(3)(iii) में प्रावधानित के आलोक में आयोजना प्राधिकार में दो से अनधिक संख्या में राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति किए जाने वाले ऐसे व्यक्ति जिन्हें नगर निवेशन का विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो, को सदस्य के रूप में नामित/नियुक्त करने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने का अनुरोध आयोजना प्राधिकार के अध्यक्षों से अनुरोध किया गया। पटना प्रमण्डल के अन्तर्गत पटना महानगर क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य शहरी क्षेत्रों के मास्टर प्लान एवं Urban Planning Projects including Smart City Projects of Patna and Biharsharif में प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना के महत्वपूर्ण भुमिका एवं व्यवहारिक अनुभव को ध्यान में रखते हुए प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना को पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार का सदस्य एवं उपाध्यक्ष मनोनीत करने का सुझाव प्रधान सचिव द्वारा दिया गया।

(vii). प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमण्डल द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा राजगीर आयोजना क्षेत्र प्राधिकार एवं आरा आयोजना क्षेत्र प्राधिकार की बैठक की गयी है। नालन्दा में प्रस्तावित हवाई अड्डा के लिए उच्च स्तरीय बैठक में विमर्शित विन्दुओं का उल्लेख करते हुए बताया गया कि Area Development Scheme के Model को लागू करने के लिए बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 एवं बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 में किये गये प्रावधानों तथा इसके व्यवहारिक पहलुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श की आवश्यकता है।

(viii). आयोजना प्राधिकार के Organisation Sturcture एवं पदों के सम्बन्ध में पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार द्वारा की जा रही कारवाई से अवगत कराया गया। अन्य आयोजना प्राधिकारों का Sturcture इससे छोटा रखने पर विचार–विमर्श किया गया। इन आयोजना प्राधिकारों के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु Office Setup, आवश्यक स्टाफ, फर्नीचर एवं उपस्करों के लिए तत्काल 10,00000/– (दस लाख रूपये) प्रत्येक आयोजना प्राधिकार को उपलब्ध कराने का सुझाव प्राप्त हुआ।

(ix). बिहार भवन उपविधि, 2014 को प्रभावी करने से सम्बन्धित प्रस्तुतीकरण के क्रम में आयोजना प्राधिकार के अन्तर्गत पूर्व से निर्माणाधीन परियोजनाओं की स्वीकृति सम्बन्धित आयोजना प्राधिकार द्वारा किये जाने से सम्बन्धित पहलुओं पर विचारण के क्रम में RERA Act, 2016 एवं Rule, 2017 के आलोक में ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित पूर्व से अवस्थित

परियोजनाओं का निबन्धन हेतु नक्शों की वैधानिकता एवं इसके समाधान पर विचार–विमर्श किया गया।

(x). आयोजना प्राधिकार के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में भवन उपविधि को प्रभावी करने के लिए cutoff date निर्धारित करने का सुझाव प्रमण्डलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल द्वारा दिया गया। पूर्व से अवस्थित भवनों एवं निर्माणाधीन भवनों के Regulatory Mechanism के लिए Technical Input-3D Picture, Map India, Satellite images including Scientific data and 3D Picture के व्यवहार तथा इन सूचनाओं को Public Domain में उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया। उनके द्वारा पूर्व से अवस्थित व्यवसायिक भवनों में पार्किंग का प्रावधान करने पर Incentive दिये जाने का सुझाव दिया गया।

(xi). बैठक में प्रमण्डलीय आयुक्तों से अनुरोध किया गया कि उनसे सम्बन्धित जिला मुख्यालय शहरों के आयोजना क्षेत्रों का प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराया जायें, ताकि आयोजना क्षेत्र की घोषणा, आयोजना क्षेत्र के घोषणा के उपरान्त आयोजना प्राधिकार के गठन एवं की कारवाई की जा सके एवं इन प्राधिकारों के क्रियान्वयन की कारवाई की जा सके। आयोजना प्राधिकार के गठन के उपरान्त मास्टर प्लान की तैयारी के क्रम में स्थानीय स्तर पर अनुश्रवण सुनिश्चित हो सकेगा तथा आयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत भवन उपविधि तथा किफायती आवास एवं मलीन बस्ती पुनर्वास एवं पुनर्विकास आवास नीति, 2017 (Affordable Housing and Slum Rehabilitation and Redevelopment Housing Policy, 2017) के तहत् प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) को प्रभावी किया जा सकेगा।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

12/2/2018

(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव।
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक –11 न०वि० आ०क्षे०–07 / 2017...285... न0वि0 एवं आ0वि0 पटना, दिनांक–..12..02.2018

प्रतिलिपि– (i) **प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना–सह–अध्यक्ष,** राजगीर क्षेत्रीय आयोजना क्षेत्र प्राधिकार, बिहारशरीफ आयोजना क्षेत्र प्राधिकार, आरा आयोजना क्षेत्र प्राधिकार/ **प्रमण्डलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर–सह–अध्यक्ष,** मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र प्राधिकार/ **प्रमण्डलीय आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया–सह–अध्यक्ष,** गया आयोजना क्षेत्र प्राधिकार, बोधगया आयोजना क्षेत्र प्राधिकार/ **प्रमण्डलीय आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा–सह–अध्यक्ष,** सहरसा आयोजना क्षेत्र प्राधिकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

(ii) जिलाधिकारी, नालन्दा, बिहारशरीफ–सह–उपाध्यक्ष, राजगीर क्षेत्रीय आयोजना क्षेत्र प्राधिकार एवं बिहारशरीफ आयोजना क्षेत्र प्राधिकार/ जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर–सह–उपाध्यक्ष, मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र प्राधिकार/जिलाधिकारी, भोजपुर, आरा–सह–उपाध्यक्ष, आरा आयोजना क्षेत्र प्राधिकार/जिलाधिकारी, गया–सह–उपाध्यक्ष, गया आयोजना क्षेत्र प्राधिकार एवं बोधगया आयोजना क्षेत्र प्राधिकार/जिलाधिकारी, सहरसा–सह–उपाध्यक्ष, सहरसा आयोजना क्षेत्र प्राधिकार/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी पटना, महानगर क्षेत्र प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

(iii) अनुमण्डल पदाधिकारी, राजगीर–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी –सह–सदस्य सचिव, राजगीर आयोजना क्षेत्र प्राधिकार/अनुमण्डल पदाधिकारी, बिहारशरीफ–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–सदस्य सचिव, बिहारशरीफ आयोजना क्षेत्र प्राधिकार/ अनुमण्डल पदाधिकारी आरा–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–सदस्य सचिव, आरा आयोजना क्षेत्र प्राधिकार/अनुमण्डल पदाधिकारी मुजफ्फरपुर–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–सदस्य सचिव, मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र प्राधिकार/अनुमण्डल पदाधिकारी गया–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–सदस्य सचिव, गया एवं बोधगया आयोजना क्षेत्र प्राधिकार/ अनुमण्डल पदाधिकारी सहरसा–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–सदस्य सचिव, सहरसा आयोजना क्षेत्र प्राधिकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(iv) नगर आयुक्त, आरा नगर निगम/ नगर आयुक्त, गया नगर निगम/ नगर आयुक्त, बिहारशरीफ नगर निगम/ नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर नगर निगम/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सहरसा/ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत राजगीर/ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, सिलाव/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, कोईलवर/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, काँटी/ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बोधगया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

12/2/2018

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक –11 न०वि० आ०क्षे०–07/2017.285 न0वि0 एवं आ0वि0 पटना, दिनांक–12.02.2018

प्रतिलिपि–विकास आयुक्त–सह–अध्यक्ष, बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड, बिहार/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार/अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग–सह–नोडल पदाधिकारी, **HFA, PMAY(U)**/ नगर तथा क्षेत्रीय निवेशन संगठन (TCPO), नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/ MIS Cell, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/2/2018

प्रधान सचिव।